परिचालन कार्यसूची

1. छावनी परिषद कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर वेतन प्रोन्नयन की स्वीकृति

संदर्भ – छावनी परिषद प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 25.01.2017

संदर्भित प्रस्ताव में उ0प्र0 शासनादेश संख्या 684/79–5–2009–50/08 दिनांक 24.02.2009 होना चाहिए था, त्रुटिवश उ0प्र0 शासनदेश संख्या–310/15/8–2009–3011/2008 दिनांक 24.02.2009 अंकित हो गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में संशोधन करते हुए उ0प्र0 शासनदेश संख्या–684/79–5–2009–50/08 दिनांक 24.02.2009 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई पर विचार एवं स्वीकृत करना।

संबंधित प्रपत्र पटल पर रखे गए।

प्रस्ताव संख्या 1

विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

बोर्ड की बैठक जल्द ही आयोजित नही की जा सकती और मामला अति आवश्यक प्रवृति का है अतएव अनुमोदन हेतु उपरोक्त कार्यसूची परिचालित किए गए हैं।

(राजीव कुमार)
मुख्य अधिशासी अधिकारी, वाराणसी।

		स्वीकृत	अस्वीकृत
1.	ब्रिगे0 एस.ए. रहमान, अध्यक्ष	....	....
2.	श्री राजीव कुमार, सदस्य सचिव	....	....
3.	ए.डी.एम(सिटी), मनोनीत सदस्य	....	....
4.	एस0ई0एम0ओ0, मिलट्री अस्पताल, पदेन सदस्य	....	....
5.	ए0जी0ई0 (एमईएस), पदेन सदस्य	....	....
6.	कर्नल ए0के0 गुप्ता, मनोनीत सदस्य	....	....
7.	कर्नल मनीष धवन, मनोनीत सदस्य	....	....
8.	श्री चन्द्र केशव, उपाध्यक्ष	....	....
9.	श्रीमती संगीता, निर्वाचित सदस्य	....	....
10.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निर्वाचित सदस्य	....	....
11.	श्री राजकुमार दास, निर्वाचित सदस्य	....	....
12.	श्रीमती मसूदा हुसैन, निर्वाचित सदस्य	....	....
13.	श्री शहनवाज अली, निर्वाचित सदस्य	....	....

14.	श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव, निर्वाचित सदस्य	....	....

छावनी परिषद वाराणसी कार्यालय में सम्पन्न छावनी परिषद की समान्य बैठक दिनांक 23.09.2017, समय 1130 बजे की कार्यवाही।

उपस्थित सदस्य –

1.	ब्रि0 एस0ए0 रहमान	–	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव कुमार, मु0अ0अ0	–	सदस्य सचिव
3.	श्री चन्द्र केशव	–	उपाध्यक्ष
4.	कर्नल ए0के0 अग्रवाल, एस0ई0एम0ओ0, सैन्य अस्पताल	–	पदेन सदस्य
5.	ए0जी0ई0, एम0ई0एस0	–	पदेन सदस्य
6.	कर्नल मनीष धवन	–	मनोनीत सदस्य
7.	कर्नल ए0के0 गुप्ता	–	मनोनीत सदस्य
8.	श्रीमती संगीता	–	निर्वाचित सदस्य
9.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	निर्वाचित सदस्य
10.	श्री राजकुमार दास	–	निर्वाचित सदस्य
11.	श्रीमती मसूदा हुसैन	–	निर्वाचित सदस्य
12.	श्री शाहनवाज अली	–	निर्वाचित सदस्य
13.	श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव	–	निर्वाचित सदस्य

अनुपस्थित सदस्य –

1.	ए0डी0एम0(नगर), वाराणसी	–	मनोनीत सदस्य

विशिष्ट अतिथि –

1. श्री नरेन्द्र मोदी, सम्मानीय सांसद एवं भारत के प्रधानमंत्री
2. श्रीमती सौरभ श्रीवास्तव, माननीय विधायक

1. पिछली वैठक की प्रगति

परिषद की पिछली वैठक जो दिनांक 28.06.2017 और 25.07.2017 को हुई, उसकी कार्यवाही की प्रगति पर विचार एवं टिप्पणी हेतु।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 1

विचार करने के उपरांत पुष्टि किया गया। आगे बोर्ड ने निम्न मुद्दों पर चर्चा किया–

1. सदस्यों द्वारा दिए गए मुद्दों पर बैठक कर समय–समय पर वार्ता किया जाता है।
2. हिन्दी में एजेण्डा सदस्यों से वार्ता करने के उपरान्त जारी किया गया है।

शिकायत प्रणाली एवं सुविधा प्रणाली केन्द्र

सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी को प्राप्त शिकायतो को सार्वजनिक किया जाए। मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा कहा गया कि इससे निजता का उल्लंघन होगा। केवल शिकायत एवं जबाव सभी देख सकते हैं।

उपरोक्त पर विचार किया गया एवं स्वीकृत।

2. चिकित्सीय विवरण –

छावनी परिषद अस्पताल, वाराणसी कैण्ट के रेजीडेन्ट चिकित्सा अधिकारी से माह मई, जून, जुलाई एवं 2017 के दौरान रोगियों की संख्या एवं प्राप्त राजस्व संवंधित मासिक विवरण पर विचार एवं टिप्पणी हेतु –

माह	अंतरंग रोगियों की संख्या	बहिरंग रोगियों (नये मामले) की संख्या	पुराने मामले	किए गए इ. सी.जी. की कुल संख्या	किए गए एक्स–रे की कुल संख्या	मासिक राजस्व संग्रह
मई, 2017	21	1952	2928	11	123	1,05,243.00
जून, 2017	21	1614	2421	10	105	1,26,918.00
जुलाई, 2017	08	1886	2829	9	118	1,16,389.00
अगस्त, 2017	08	2706	4059	16	111	1,51,720.00

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 2

विचार किया गया तथा नोट किया गया।

3. **न्यायालय के मुकदमों का विवरण –**

माह मई, जून एवं जुलाई, 2017 में न्यायालय के मुकदमों में हुयी प्रगति पर विचार एवं टिप्पणी हेतु–

विवरण	मई, 2017	जून, 2017	जुलाई, 2017
सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक मुकदमें	01	01	01
उच्च न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक मुकदमें	53	54	54
स़त्र एवं व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक मुकदमें	44	42	42
योग	98	96	96
माह के दौरान उच्च न्यायालय में निस्तारित केस	00	00	01
माह के दौरान सिविल न्यायालय में निस्तारित केस	02	00	02
माह के दौरान उच्च न्यायालय में दाखिल नये केस	01	00	00
माह के दौरान सिविल न्यायालय में दाखिल नये केस	00	00	00

नये केस

1. याचिका संख्या 22370/2017 कैंट बोर्ड इम्पलाइज यूनियन बनाम भारत संघ वगैरह ।

उक्त याचिका कैंट बोर्ड इम्पलाइज यूनियन वाराणसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कर्मचारियों को एसीपी का लाभ प्रदान करने हेतु दाखिल किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.07.2017 द्वारा याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है कि याची पारित आदेश के 2 सप्ताह के अन्दर अपना अभ्यावेदन रेस्पाण्डेंट संख्या 3, (प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान लखनऊ) के समक्ष प्रस्तुत करें और रेस्पाण्डेंट संख्या संख्या 3 अभ्यावेदन का निस्तारण 8 सप्ताह के अन्दर करें।

निस्तारित केस

1. मुकदमा संख्या 289/2007 राधे श्याम बनाम छावनी परिषद वाराणसी व अन्य

उक्त मुकदमा बंगला नं0 68 के एचओआर श्री राधेश्याम व अन्य द्वारा स्टेशन रोड पर निर्माणाधीन सुलभ शौचालय के निर्माण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया था जिसे माननीय न्यायालय अपर सिविल जज, सी0डी0, वाराणसी आदेश दिनांक 11.05.2017 द्वारा निरस्त कर दिया है।

2. मुकदमा संख्या 274/2012 छावनी परिषद बनाम मारूति सुजुकी लि0

उक्त मुकदमा उपभोक्ता फोरम, वाराणसी में भुगतान किए जाने के बावजूद भी एम्बुलेंस हेतु मारूति वैन न डिलिवर किए जाने के कारण मारूति सुजुकी लि0 के विरूद्ध दाखिल किया गया था। बाद में मारूति वैन, मारूति सुजुकी लि0 द्वारा उपलब्ध कर दिया गया। अतएव मुकदमा पर बल न दिए जाने के कारण आदेश दिनांक 15.05.2017 द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया।

3. **मुतफर्का सिविल अपील संख्या 90/2002 अच्युतानंद द्विवेदी बनाम यूनियन आफ इंडिया वगैरह**

मुकदमा संख्या 1863/1992, क्वार्टर नं026, वाराणसी कैंट लीज नवीनीकरण के बावत अपर सिविल जज, जू0डि0, वाराणसी के यहां दाखिल किया गया जिसमें अंतरिम आदेश हेतु निवेदन किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अंतरिम आदेश का निवेदन, आदेश दिनांक 07.05.2002 द्वारा खारिज कर दिया था। जिसके विरूद्व उक्त मुतफर्का सिविल अपील अपर जनपद न्यायाधीश संख्या 7, वाराणसी के यहां दाखिल किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2017 द्वारा खारिज कर दिया है।

4. **प्रकिर्ण सिविल अपील संख्या 90/2015 कृष्ण कुमार श्रीवास्तव बनाम छावनी परिषद वाराणसी**

उक्त अपील श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव द्वारा माननीय जिला जज, वाराणसी के समक्ष मकान नं0 208, सदर बाजार, वाराणसी कैंट के किए गए असेसमेंट वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 के विरूद्व दाखिल किया गया था। माननीय अपर जिला जज, कक्ष संख्या 8, वाराणसी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 25.07.2017 द्वारा अपील खारिज कर दिया है।

माह मई, जून, एवं जुलाई, 2017 में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय में लंबित चालानो का विवरण –

विवरण	मई, 2017	जून, 2017	जुलाई, 2017
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 244 के तहत	33	33	33
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 324 के तहत	85	85	85
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत	25	25	24

माह जुलाई, 2017 में धारा 184 के तहत दाखिल मुकदमा संख्या 3159/2006 छावनी परिषद बनाम सुखई प्रसाद, प्रतिवादी सुखई प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 16.07.2016 को खारिज कर दिया गया है।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 3

विचार किया गया तथा नोट किया गया।

4. **समिति का गठन**

(अ) **वित्तीय समिति**

संदर्भ – सीबीआर सं0 10 दिनांक 16.06.2016 और सीबीआर संख्या 7 दिनांक 25.07.2017

सीबीआर सं0 10 दिनांक 16.06.2016 द्वारा, विजनेस रेगुलेशन की धारा 24(2) के तहत छावनी परिषद द्वारा निम्नलिखित सदस्यों क साथ वित्तीय समिति का गठन किया गया था –

1. श्री चन्द्र केशव	–	उपाध्यक्ष
2. एस0ई0एम0ओ0, मिलट्री अस्पताल	–	पदेन सदस्य
3. ए0जी0ई0 (एमईएस)	–	पदेन सदस्य
4. श्री राजकुमार दास	–	निर्वाचित सदस्य
5. श्रीमती मसूदा हुसैन	–	निर्वाचित सदस्य

लेकिन विजनेस रेगुलेशन नियम 24(7) के तहत प्रत्येक समिति के सदस्य का पद जिसका वह सदस्य है, कार्यकाल एक वर्ष का होगा। उपरोक्तानुसार बोर्ड नये वित्तीय समिति का गठन करे।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

(ब) <u>सामान्य कार्य समिति (जनरल वर्क्स कमेटी)</u>

वाराणसी छावनी परिषद द्वारा बनाए गए विजनेस रेगुलेशन के अन्तर्गत नियम 24(3) के तहत सामान्य कार्य समिति के गठन पर विचार करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>प्रस्ताव सं0 4</u>

(अ) वित्तीय समिति गठन

वित्तीय समिति गठन के नियम मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा पढ़े गए। विचार किया गया तथा पारित किया गया कि छावनी परिषद वाराणसी के कार्य संचालन नियमावली धारा 24(7) के तहत वित्तीय समिति का गठन निम्नलिखित बोर्ड सदस्यों से किया जाएगा –

1. श्री चन्द्रकेशव	–	उपाध्यक्ष
2. कर्नल ए0के0 गुप्ता	–	मनोनित सदस्य
3. कर्नल मनिष धवन	–	मनोनित सदस्य
4. श्री राजकुमार दास	–	निर्वाचित सदस्य
5. श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव	–	निर्वाचित सदस्य

(ब) सामान्य कार्य समिति गठन

सामान्य कार्य समिति गठन के नियम मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा पढ़े गए। विचार किया गया तथा पारित किया गया कि छावनी परिषद वाराणसी के कार्य संचालन नियमावली धारा 24(3) के तहत कार्य समिति का गठन निम्नलिखित बोर्ड सदस्यों से किया जाएगा –

1. श्री चन्द्रकेशव – उपाध्यक्ष
2. एस0ई0एम0ओ0, मिलट्री अस्पताल– पदेन सदस्य
3. ए0जी0ई0, एम0ई0एस0 – पदेन सदस्य
4. श्रीमती संगीता – निर्वाचित सदस्य
5. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह – निर्वाचित सदस्य

अध्यक्ष जब उपस्थित रहेंगे, वित्तीय व समान्य कार्य समिति के चेयरमैन रहेंगे एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, वित्तीय एवं सामान्य कार्य समिति क चेयरमैन होंगे।

(स) <u>अस्पताल प्रबन्धन समिति</u>

अस्पताल प्रबन्धन समिति का पुर्नगठन करने पर चर्चा हुआ। चर्चा में अस्पताल प्रबन्धन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया गया –

1. श्री चन्द्रकेशव, उपाध्यक्ष – चेयरमैन
2. एस0ई0एम0ओ0, मिलट्री अस्पताल – सदस्य
3. आर0एम0ओ0 – सचिव
4. श्री शाहनवाज अली – सदस्य
5. श्रीमती मसूदा हुसैन – सदस्य

(द) <u>विद्यालय प्रबन्धन समिति</u>

पूर्व अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद वाराणसी को पत्र भेजकर यह पूछा जाए कि विद्यालय प्रबन्धन समिति का पुर्ननगठन किस आधार पर किया गया।

प्रस्ताव पढ़ा गया एवं सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5. **<u>कमलापति, फर्मासिस्ट, छावनी परिषद वाराणसी को पुनरीक्षित वेतनमान एवं एसीपी का भुगतान</u>**
संदर्भ – सीबीआर सं0 14 दिनांक 25.07.2017

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 No.Ve.Aa-2-404/Dus-54/(M)/2008TC dt.18.03.2011, UP Govt. GO No.1159/Panch-7-2011-Saat-92/88 dt.28.04.2011 & GO No.54/2015/Ve.Aa.-2-865/Dus-8(Mu.S.S.)/2008TC dt.15.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में श्री

कमलापति फर्मासिस्ट, छावनी परिषद अस्पताल वाराणसी को पुनरीक्षित वेतनमान एवं एसीपी देने पर विचार एवं स्वीकृति हेतु।

समझौता ज्ञापन के तहत, छावनी परिषद के कर्मचारी राज्य सरकार के अनुसार वेतन एवं भत्ता पाने के हकादर होगें। चूंकि राज्य सरकार में उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार वेतन पुनरीक्षित कर दिया है, अतएव छावनी परिषद अस्पताल के फर्मासिस्ट भी राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार ही निम्नानुसार वेतन पाने के अधिकरी हैं–

क्रम सं0	दिनांक 01.01.2006 को वेतन वैंड व ग्रेड वेतन	इन्ट्री ग्रेड में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित ग्रेड वेतन व वेतन वैंड (गैर कार्यात्मक वेतन सेवा के साथ)	वास्तविक प्रभावी तिथि (शासनादेश के अनुसार)
1.	Rs.5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800	Rs.9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200	18.03.2011

10 वर्ष एवं 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त श्री कमलापति फर्मासिस्ट को एसीपी का लाभ निम्नानुसार देय होगा –

नाम व पद	नियुक्ति तिथि	वर्तमान वेतन वैंड एवं ग्रेड वेतन	10/16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि	प्रथम एवं द्वितीय एसीपी स्वीकृत होने पर वेतन वैंड एवं ग्रेड वेतन	प्रभावी तिथि	प्रतिवर्ष वित्तीय बोझ
कमलापति फार्मा0	01.05.1999	9300-34200 ग्रे0वे0 4200	01.05.2009 (10 वर्ष) (I एसीपी)	9300-34200 ग्रे0वे0 4600 (1st एसीपी)	18.03.2011	Rs.70,123.00 (लगभग)
		9300-34200 ग्रे0वे0 4600	01.05.2015 (16 वर्ष) (II एसीपी)	9300-34200 ग्रे0वे0 4800	01.05.2015	Rs.21,360.00 (लगभग)

वास्तविक प्रभाव की गणना स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत एवं व्यक्तिगत वेतन निर्धारण के बाद स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी से आडिट के उपरान्त की जायेगी। बजट प्राक्कलन 2017–18 (पु0) एवं 2018–19 (मूल) में प्रावधान किया गया है।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>प्रस्ताव सं0 5</u>

विचार किया गया एवं अनुमोदित किया गया। निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

6. **<u>छावनी निधि कर्मचारी जो 10 एवं 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए एसीपी की स्वीकृति ।</u>**

उ0प्र0 शासनादेश संख्या–Ve-aa-5/561/Das-62(M)/2008 दिनांक 04.05.2010, Ve-aa-2/2014/Das-62(M)/2008/TC दिनांक 22.12.2011 एवं Ve-aa-2-773/561/Das-62(M)/2008 दिनांक 05.11.2014 के अनुसार, छावनी निधि कर्मचारी जो 10 एवं 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं के लिए एसीपी की मंजूरी पर विचार एवं स्वीकृति हेतु। कर्मचाारियों का विस्तृत विवरण, वित्तीय बोझ के साथ निम्नवत है –

वास्तविक प्रभाव की गणना स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत एवं व्यक्तिगत वेतन निर्धारण के बाद स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी से आडिट के उपरान्त की जायेगी। बजट प्राक्कलन 2017–18 (पु0) एवं 2018–19 (मूल) में प्रावधान किया गया है।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>प्रस्ताव सं0 6</u>

विचार किया गया एवं अनुमोदित किया गया। निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

7. **<u>दैनिक अनुज्ञप्ति फीस के दर का पुनरीक्षण एवं सभी घुमनेवाले ठेला/हाकर/गुमटी के लिए एक जगह निर्धारित करना।</u>**

(क) संदर्भ – सीबीआर संख्या 29 दिनांक 25.07.2017

कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 17.07.2017 पर विचार एवं स्वीकृति हेतु। जोन ए (बंगला एरिया) एवं जोन सी (सदर बाजार एरिया) में बेचने वाले दैनिक गुमटी/ठेला के लिए एसटीआर के अनुसार दर निर्धारित करने हेतु।

और हाकरों का दैनिक लाइसेंस फीस पर निचे दिए गए दर के अनुसार विचार करने हेतु –

		वर्तमान दर	प्रस्तावित दर 8'x8' आकार
1.	चाय विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
2.	पान विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 25/– प्रतिदिन
3.	अंडा, चाउमीन विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 60/– प्रतिदिन
4.	फल, जूस विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
5.	पकौडी तथा चाट विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
6.	दाना, मूँगफली, पटटी विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
7.	कोल्ड ड्रिन्क, शरबत विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
8.	आइस्क्रीम विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन

9.	साइकिल मरम्मत	रु0 6/– प्रतिदिन	रु0 25/– प्रतिदिन
10.	कपडा विक्रेता	रु0 20/– प्रतिदिन	रु0 50/– प्रतिदिन
11.	सब्जी विक्रेता	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 25/– प्रतिदिन
12.	बारबर	रु0 10/– प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
13.	मछली/मॉस विक्रेता	रु0 15/–प्रतिदिन	रु0 30/– प्रतिदिन
14.	मोची	रु0 6/– प्रतिदिन	रु0 20/– प्रतिदिन
15.	पोस्टर विक्रेता	रु0 3/– प्रतिदिन	रु0 25/– प्रतिदिन
16.	गुब्बारा खिलौना विक्रेता	रु0 3/– प्रतिदिन	रु0 20/– प्रतिदिन
17.	उपरोक्त के अतिरिक्त	रु0 4/– प्रतिदिन	रु0 25/– प्रतिदिन

सम्बन्धित प्रपत्र कार्यालय रिपोर्ट के साथ पटल पर रखे गये।

(ख) जो दुकान उपकिराएदारी पर दिए गए हैं उनके संवंध में कार्यवाही पर विचार

(ग) जो गुमटी एवं ठेला वैसा ब्यापार में संलग्न जिसके लिए छावनी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा 277 के तहत लाइसेंस की जरूरत होती है के संबंध में विचार।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>प्रस्ताव सं0 7</u>

(क) विचार किया गया एवं पारित किया गया कि दैनिक लाइसेंस फीस का पुनरीक्षण निम्नानुसार स्वीकृत किया गया। पुनरीक्षित दर दिनांक 26.09.2017 से प्रभावी होगा।

क्रम सं0		स्वीकृत दर 8'x8' आकार
1.	चाय विक्रेता	रु0 15/– प्रतिदिन
2.	पान विक्रेता	रु0 15/– प्रतिदिन
3.	अंडा, चाउमीन विक्रेता	रु0 30/– प्रतिदिन
4.	फल, जूस विक्रेता	रु0 25/– प्रतिदिन
5.	पकौडी तथा चाट विक्रेता	रु0 20/– प्रतिदिन
6.	दाना, मूँगफली, पटटी विक्रेता	रु0 20/– प्रतिदिन
7.	कोल्ड ड्रिन्क, शरबत विक्रेता	रु0 20/– प्रतिदिन
8.	आइस्क्रीम विक्रेता	रु0 30/– प्रतिदिन
9.	साइकिल मरम्मत	रु0 10/– प्रतिदिन
10.	कपडा विक्रेता अन्य	रु0 50/– प्रतिदिन
	कपड़ा विक्रेता साइकिल पर	रू0 20/– प्रतिदिन
11.	सब्जी विक्रेता	रु0 25/– प्रतिदिन
12.	बारबर (नाई)	रु0 20/– प्रतिदिन
13.	मछली/मॉस विक्रेता	रु0 30/– प्रतिदिन
14.	मोची	रु0 10/– प्रतिदिन

15.	पोस्टर विक्रेता	रू0 15/– प्रतिदिन
16.	गुब्बारा खिलौना विक्रेता	रू0 10/– प्रतिदिन
17.	उपरोक्त के अतिरिक्त	रू0 25/– प्रतिदिन

(ख) विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धारा 267 के तहत जो नीलामी की जाएगी वह वार्षिक होगी। सामान्य कार्य समिति इस मामले को देखेगी और अपना सुझाव देगी।

(ग) विचार किया गया एवं बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धारा 277 के तहत लाइसेंस बोर्ड जारी करेगा।

छावनी परिषद संकल्प संख्या 8 दिनांक 23.09.2017

8. **बंगला नं0 10 एवं 12 के मध्य पार्किंग**

संदर्भ – सीबीआर संख्या 17 दिनांक 25.07.2017

उक्त सीबीआर द्वारा विषयक पार्किंग का आवंटन 01 माह हेतु बढ़ाया गया है, जो दिनांक 30.08.2017 को समाप्त हो जाएगा। संदर्भित सीबीआर के परिप्रेक्ष्य में मु0अ0अ0 का रिपोर्ट पटल पर विचार एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 8

विचार किया गया। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि बंगला नं0 10 व 12 के मध्य स्थित पार्किंग स्थल का पुनः नीलामी किया जाए।

9. **भूमि उपयोग की योजना**

छावनी परिषद संकल्प संख्या 33 दिनांक 09.01.2012 पर पुनः चर्चा।

प्रस्ताव सं0 9

विचार किया गया। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि ओल्ड ग्रांट बंगलो के एच0ओ0आर0 को इस संबंध में एक मिटिंग की तिथि निर्धारित कर सूचना भेजी जाए।

10. **फुलवरिया मार्ग का चौड़ीकरण/चहारदिवारी का निर्माण**

निम्नलिखित पर नोट एवं विचार करने हेतु –

रू.682.16 लाख एमआरओ संख्या 00001 दिनांक 05.08.2017 से प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा, मध्य कमान, लखनऊ को एमईएस से डिपाजिट कार्य कराने हेतु (39 जीटीसी की चहारदिवारी निर्माण हेतु) जमा किया गया।

दिनांक 01.08.2017 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पुनरीक्षित एई (बाउण्ड्रीवाल 3.5 मीटर) के आधार पर

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 10

विचार किया गया तथा नोट किया गया।

11. **कैंट बोर्ड रूट्स मोंटेसरी स्कूल**

रूट्स मांटेसरी के भविष्य की रूप रेखा निर्धारित करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 11

विचार किया गया एवं बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि विद्यालय प्रबन्धन समिति इस मामले का अध्ययन कर रिपोर्ट दें।

12. **बी.ओ.टी. पद्धति के अन्तर्गत शौचालयों एवं रोड साइड फर्निचरों का निर्माण व अनुरक्षण**

अभिरूची अभिव्यक्ति का प्रकाशन बी.ओ.टी. पद्धति पर शौचालयों, रोड साइड फर्निचर निर्माण हेतु विचार करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 12

विचार किया गया एवं आगे की कार्रवाई हेतु स्वीकृत। पॉच वर्ष की अवधि तक के बी0ओ0टी0 प्रस्तावों पर कार्यवाही को मूर्तरूप देना व उससे अधिक अवधि हेतु प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तावित करना।

13. **पुष्टीकरण बिन्दू**

(i) छावनी परिषदो को खुले में शौच से मुक्ति प्रमाण पत्र वितरण हेतु दिनांक 14.09.2017 को आयोजित कार्यक्रम हेतु सर्कुलर एजेन्डा दिनांक 25.08.2017 विचार व नोट करना।

(ii) छावनी परिषद अस्पताल में दवा आपूर्ति हेतु सर्कुलर एजेन्डा दिनांक 12.09.2017 विचार व नोट करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 13

(i) नोट कर लिया।

(ii) नोट कर लिया।

14. <u>सदर बाजार में स्थित नालियों की मरम्मत/क्षतिग्रस्त पटिया नालियों के स्थान पर के0 सी0 ड्रेन द्वारा पुर्ननिर्माण का कार्य।</u>

सन्दर्भ – छावनी परिषद् संकल्प सं0.25 दिनांक 07.11.2016, अनुबन्ध दिनांक 23.12.2016 एवं अवर अभियंता रिपोर्ट दिनांक 10.08.2017

छावनी संकल्प सं0.25 दिनांक 07.11.2016 के अनुसार विषयक निविदा में0 आर0एस0 इन्टरप्राइजेज, अराजी सं0.10/2, इमलियाघाट, वाराणसी के हक में किया गया था। विषयक निविदा का अनुमानित लागत रू0.14.81 लाख के परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार द्वारा समेकित राशि का निविदा रू.13,41,600/– दिया गया था। अनुबन्ध दिनांक 23.12.2016 के उपरान्त ठेकेदार को कार्य आदेश स0.बी–2/32/ड्रेन–1/2016–2017/36/1780 दिनांक 16.01.2017 एंव सं0–बी–2/32 /ड्रेन–1/2016–2017/36/1999 दिनांक 23.02.2017 जारी किया गया। कार्य सूची मे ंदिये गये निर्धारित कार्यो को दिनांक 25.03.2017 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण करना था जिसको ठेकेदार द्वारा समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया एंव उसके परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि विषयांकित निविदा में दिए गए कार्य के अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु आदेशित करने के कारण एवं वह कार्य निविदा में सम्मिलित नहीं था और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ठेकेदार द्वारा कार्य करने से मना कर दिया गया है। अवर अभियंता द्वारा इस तथ्य की पुष्टी की गई है कि कार्य आदेश जो दिया गया है वह निविदा में अंकित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार बोर्ड मामले में अगली कार्यवाही तय करे।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>प्रस्ताव सं0 14</u>

विचार किया गया एवं बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि मामले को ए0जी0ई0 (एम0ई0एस0) की सलाह से पुर्नविचार किया जाए।

15. <u>रविन्द्रनाथ मार्ग पर स्थित पुलिया का चौंडीकरण एंव सुन्दरीकरण</u>

सन्दर्भ – छावनी परिषद् संकल्प सं0.20 दिनांक 27.02.2016, अनुबन्ध दिनांक 29.03.2016 एवं अवर अभियंता की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2017 एवं सफाई निरीक्षक का रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017.

सन्दर्भित संकल्प सं0 20 दिनांक 27.02.2016 के अनुसार विषयक निविदा में0 राज कन्सट्रक्शन, वरूणा बृज, वाराणसी के हक में किया गया था। विषयक निविदा का अनुमानित लागत रू0.4.50 लाख था जिसपर ठेकेदार द्वारा 22.00% ABOVE पर उपरोक्त निविदा स्वीकृत किया गया था। अनुबन्ध दिनांक 29.03.2016 के बाद ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा कार्य आदेश सं0.बी–2/32/ड्रेन/2015–2016/28/393 दिनांक 30. 05.2016 जारी किया गया। कार्य सूची मे दिये गये निर्धारित कार्यो को दिनांक 15.07. 2016 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण करना था जिसको ठेकेदार द्वारा समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया एंव उसके परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार द्वारा पत्र दिनांक 06.06.2016, 16.09.2016 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि विषयांकित निविदा को पूर्ण करने के लिये साईट क्लीयर करके दें तभी पुलिया का चौडीकरण एंव सुन्दरीकरण कार्य कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार बोर्ड मामले में अगली कार्यवाही करे।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 15

विचार किया गया एवं बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि ठेकेदार को दण्दित करते हुए जमा अग्रिम राशि जब्त किया जाए। पुनः निविदा आमंत्रित की जाए।

16. अस्पताल प्रबन्धन समिति की बैठक

दिनांक 12.08.2017 को सम्पन्न अस्पताल प्रबन्धन समिति की कार्यवृत पटल पर रखे गये। समिति ने विचार किया एवं निम्नलिखित सिफारिश की –

प्रस्ताव सं0 1– अधूरे पड़े कार्य जो कि एच0एम0सी0 से अनुमोदित हो चुके है परन्तु अभी तक क्रियान्वित नही हुए।

क–विभिन्न विभागों के लिये औजारों की खरीद–

1. नेत्र विभाग के लिये निम्नलिखित औजारों की खरीद–
   क. स्लिट लैम्प ख. आटोरिफ्रैक्टोमीटर ग. स्यािट्ज टोनोमीटर
   घ. ईसिहारा चार्ट
2. नाक, कान, गला विभाग के लिये ई0एन0टी0 सेट
   (एच0एम0सी0 दि0 26.08.16)

3. डेन्टल मशीन की मरम्मत ,ई0सी0 जी0 मशीन की मरम्मत ।
   (एच0एम0सी0 28.09.16)

उपरोक्त सभी आवश्यकतायों पर सभी सदस्यों द्वारा विचार किया गया तथा शीघ्र ही खरीदने एवं मरम्मत हेतू अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

ख– **<u>जेनरेटर एवं पार्किग के लिये टीन शेड का निर्माण कराना–</u>**
जेन सेट की सुरक्षा एवं स्टाफ और मरीजों के वाहनों की सुरक्षा के लिये टीन शेड और सीमेन्टेड फ्लोर का निर्माण कराना (एच0एम0सी0 22.08.15)

विचार किया गया और निम्न सलाह के साथ अनुमोदित एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

–जेनरेटर सेट वर्तमान स्थान से हटाकर इन्सीरेटर के बगल खाली स्थान मे टीन शेड एवं सीमेन्टेड फ्लोर बनाकर रखा जाय।
– कर्मचारियों एवं मरीजों के वाहन हेतू पार्किग नशा मुक्ति भवन के सामने स्कूल भवन से सटाकर टीन शेड एवं सीमेन्टेड फ्लोर बनाकर व्यवस्था की जाय।

ग–जेनसेट साइड की दीवार उॅची कराकर गेट लगवाने की आवश्यकता है ताकि लान को घुमन्तू जानवरों से बचाया जा सके ।

–विचार किया गया और निम्न सलाह के साथ अनुमोदित एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

– उक्त बिन्दु के संदर्भ मे नई व्यवस्था के तहत दवा की दूकान से सामने गेट तक एक दीवाल उठाकर गेट लगाया जाय जिससे भीतरी क्षेत्र मे कोई गेट लगाने की आवश्यकता नही होगी जिससे अनाधिकृत व्यक्तियों एवं घुमन्तू जानवारो से लान एवं अस्पताल की सुरक्षा हो सकेगी ।

<u>प्रस्ताव सं0 2–अस्पताल का अपसिस्ट पदार्थ का निस्तारण</u> –

इन्सीरेटर की मरम्मत करायी जाय ।

– विचार किया गया और मरम्मत कार्य हेतू अनुमोदित एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

<u>प्रस्ताव सं0 3– जन औषधि केन्द्र</u> –
अस्पताल परिसर मे प्राइवेट दवा की दुकान को बन्द कराकर जन औषधि केन्द्र खोला जाय । छा0परिषद अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों को निर्देशित किया जा कि वह जन औषधि केन्द्र मे उपलब्ध सस्ती दवायें ही मरीजों को लिखें । छावनी परिषद चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क दवायें केवल गरीब एवं अति गरीब मरीजों को ही दी जाय।

–विचार कर अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

<u>प्रस्ताव सं0 4– नशा मुक्ति केंन्द्र का पुनः संचालन</u> –.

नशा मुक्ति केन्द्र को चलाने हेतू डा0 ए0के0 गुप्ता , मानसिक रोग विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है परन्तु वह उक्त केंन्द्र न चलाकर केवल बहिरंग विभाग मे मरीज देखने का कार्य कर रहें और विगत दो माह मे उन्होने केवल 8 मरीज देखा है । इसको देखते हुए उनकी सेवाओं को खत्म करते हुए मानसिक रोग विशेषज्ञ की जगह साइकोलोजिस्ट को नियुक्त किया जाय।

– –विचार कर अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

<u>प्रस्ताव सं0 5.स्त्री रोग विशेषज्ञ हेतु आवास–</u>

प्रस्तावित नवनियुक्त होनी वाली स्त्री रोग चिकित्सक हेतू अस्थाई निवास हेतू अस्पताल भवन के उपर बना कक्ष उपयुक्त नही है । इस विषय मे विचार किया गया कि पैथोलाजी के बगल मे बना निवास जिसमे कोई कार्यालय का कर्मचारी निवास कर रहा है को खाली कराकर दिया जाय ।

––विचार कर अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

<u>प्रस्ताव सं0 6– 24 घंटे चिकित्सा सुविधा</u>–

अस्पताल मे 24घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतू निम्न स्टाफ को यह ध्यान रखते हुए भर्ती किया जाय कि किसी स्टाफ के अवकाश पर जाने के उपरान्त विकल्प मौजूद रहे और सेवा बाधित न हो ।

1. एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक –2
2. पुरुष स्टाफ नर्स –2
3. वार्ड ब्वाय –3

––विचार कर अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

प्रस्ताव सं0 7– रेडियोलाजिस्ट के लिये स्टाफ–

अस्पताल मे कार्य करने वाले रेडियोलाजिस्ट ने निम्नलिखत स्टाफ की मॉग की है ।

1. आया या दाई –(1) जो कि महिला रोगी को तैयार करने एवं सहायता करने योग्य हो ।
2. कम्प्यूटर चलाने हेतू कर्मचारी – मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने हेतू कम्प्यूटर का जानकार जिसकी स्पीड न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी मे हो ।
(रेडियोलाजिस्ट का पत्र साथ मे संलग्न है ।)

–विचार कर अनुमोदित किया गया एवं कार्यवाही हेतू अग्रसारित ।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे जाते हैं ।

<u>प्रस्ताव सं0 16</u>

1. (क) विचार किया गया एवं स्वीकृत।

   (ख) मु0अ0अ0 मामले की जांचकर निर्णय लें

   (ग) मु0अ0अ0 मामले की जांचकर निर्णय लें।

2. विचार किया गया एवं स्वीकृत।

3. जन औषधि केन्द्र से सम्पर्क कर रियायती दरों पर खरीद हेतु कार्यवाही होगी यदि दवाएं डॉक्टरों द्वारा संस्तुती पाती है।

4. नशा मुक्ति केन्द्र को चलाने हेतु साइक्रोलाजिस्ट नियुक्त किया जाए।

5. स्त्री रोग विशेषज्ञ हेतु क्वार्टर पुर्ननिर्माण करने का बजट का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017–18(पु0) में किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में आवास का पुर्ननिर्माण कर दिया जाएगा।

6. छावनी परिषद अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

7. अस्पताल में उपलब्ध कर्मचारी से अवाश्यकतानुसार कार्य सम्पादित कराया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओं पर चर्चा हुई–

- छावनी परिषद अस्पताल में वर्ष 2014 के बाद कोई आपरेशन/डिलवरी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा नहीं कराया गया। डिलवरी/आपरेशन उनके निजी नर्सिंग होम पर किया गया।
- स्टाफ की संख्या एवं उनकी कार्य क्षमता के संबंध में अस्पताल प्रबन्धन समिति निर्णय ले।

प्रस्ताव पढ़ा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया।

17. <u>सफाई रिपोर्ट</u>

एसइएमओ, वाराणसी द्वारा दिनांक 25.07.2017 को किया गया सेनेटरी राउण्ड पर विचार एवं स्वीकृति करना ।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 17

नोट कर लिया।

18. विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक

दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न जूनियर हाई स्कूल, बालिका प्राइमरी स्कूल एवं बालक प्राइमरी स्कूल की कार्यवृत्त पटल पर रखे गए। समिति ने विचार किया एवं निम्नलिखित सिफारिश की –

आज दिनांक 22.08.2017 को एस0 एम0 सी0 की बैठक की राजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक तीनों विद्यालय का एक साथ शुरू हुआ जिसमें छावनी परिषद सदस्य श्री चन्द्रकेशव (उपाध्यक्ष) व छावनी परिषद सदस्या, मसूदा बेगम व गीता यादव, अध्यक्ष, राजेश कुमार, राम जी सोनकर, मो0 रियाउलहक व तीनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे, तथा अभिभावकगण भी उपस्थित थें। जिसमें निम्नलिखित बातों पर चर्चा हुई।

(1) **छात्र/छात्राओं को आधार कार्ड के सम्बन्ध में –**

इसमें यह निर्णय किया गया कि छावनी परिषद एक दिन विद्यालय में आधार कार्ड का शिविर लगाकर सभी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड बनवाया जाय।

(2) आई कार्ड के संबंध में–

यह भी निर्णय किया गया कि सभी बच्चों का आई कार्ड होना नितान्त आवश्यक है। क्यों कि आज के परिवेश को देखते हुए कमेटी ने यह निर्णय किया कि आई कार्ड का शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय, इसको अभिभावकों द्वारा लेकर बनवाया जाय।

(3) ड्रेस के संबंध में –

यह निर्णय किया गया कि ड्रेस का पैसा जब आ जाता है तो तत्काल कार्यवाही पूरा करके छात्र/छात्राओं को दो ड्रेस वितरित किया जाय।

(4) अभिभावक सदस्यों ने छावनी परिषद के सदस्यों को बताया कि विद्यालय का पठन–पाठन अच्छा चल रहा है। अन्य विद्यालयों की अपेक्षा छावनी परिषद का विद्यालय अच्छा है यहॉ शिक्षक व बच्चें समय से विद्यालय आते हैं।

(5) **<u>प्राइमरी शिक्षा में कम्प्यूटर के संबंध में –</u>**

कमेटी ने यह भी निर्णय किया कि दोनों प्राइमरी विद्यालय में कक्षा, 4, 5, के लिए भी कम्प्यूटर शिक्षा होना चाहिए।

(6) **<u>मिड–डे मिल के संबंध में –</u>**

मिड–डे मिल के संबंध में वार्ता हुई जिसमें कमेटी ने निर्णय किया विद्यालय में खाना भोजन मेन्यू के हिसाब से बनाते है। खाने की गुणवत्ता भी ठीक है।

(7) **<u>छात्र/छात्राओं के उपस्थिति के संबंध में –</u>**

तीनों प्रधानाध्यापकों द्वारा कमेटी के सदस्यों को बताया कि बहुत कुछ छात्र/छात्रा ऐसे भी हैं जो समय से विद्यालय नही आते है तथा कुछ अनुपस्थित रहते है, कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हम लोग भी क्षेत्र में कोशिश करेगें कि अभिभावक अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजे क्यो कि उनकी भौतिक जिम्मेदारी होती है।

<u>प्रस्ताव सं0 18</u>

विचारोपरान्त अमान्य किया गया।

19. <u>छावनी अधिनियम 2006 की धारा 26 के तहत की गयी स्वीकृत को नोट करने हेतु</u>

बंगला नं0 10 एवं 12 के मध्य स्थित पार्किंग स्थल का 02 माह (दिनांक 31.08.2017 से दिनांक 30.10.2017 तक) के एक्सटेंशन हेतु अध्यक्ष छावनी परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.09.2016 को नोट करने हेतु।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

<u>प्रस्ताव सं0 19</u>

नोट कर लिया।

20. <u>साइकिल भत्ता की स्वीकृति</u>

सन्दर्भ– कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 एवं निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान लखनऊ पत्रांक सं0 <u>49270/लखनऊ/एस.एस.एण्ड</u> एस. आई/14 दिनांक 30.08.2017

निम्नलिखित भोगी कर्मचारियों को साइकिल भत्ता (02 वर्ष हेतु) माह नव0 2016 से मार्च 2017 तक Ex Post Facto Sanction (कार्योत्तर स्वीकृति) एंव माह मई 2017 से अक्टूबर, 2018 तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु –

1.	श्री श्रीराम लखन	–	टैक्स कलेक्टर
2.	श्री अजय सिंह कुशवाहा	–	स्टोर कीपर
3.	श्री पवन कुमार चौधरी	–	कोर्ट क्लर्क
4.	श्री अखिलेश सिंह	–	कैशियर
5.	श्री सुरेश सिंह यादव	–	चपरासी
6.	श्री बलराम चौधरी	–	चपरासी
7.	श्री अगिन कुमार झॉ	–	चपरासी
8.	श्री प्रवेश जैशवार	–	लेडर मेन
9.	श्री धमेन्द्र कुमार	–	चपरासी
10.	श्री राजकुमार	–	सेनेट्ररी जमादर
11.	श्री मो0 युसुफ खाँ	–	सेनेट्ररी जमादर
12.	श्री गुलाब चन्द्र	–	बेलदार
13.	श्री विधा शंकर दूबे	–	पाउण्ड कीपर
14.	श्री तारा	–	सेनेट्ररी जमादर

कार्यालय पत्रांक सं0 ए–1/53/साईकिल एलावन्स/516 दिनांक 05.06.2017 द्वारा निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिस पर निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्रांक सं0 49270/लखनऊ/एस.एस.एण्ड एस.आई/14 दिनांक 30.08.2017 द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति के उपरान्त पुनः मन्जूरी हेतु भेजा जाय।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

<u>प्रस्ताव सं0 20</u>

विचार किया गया एवं अनुमोदित किया गया। निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

21. <u>सरकारी भूमि– घेराबन्दी</u>

(क) बंगला नं0 51 के सम्मुख, सड़के दूसरी ओर ''आजाद पार्क'' का निर्माण व पंचवटी की घेराबन्दी। अनुमानित व्यय लगभग रू0 3,00,000/– (रूपया तीन लाख मात्र)

(ख) बंगला नं0 53 के सम्मुख (सर्वे नं0 63) घेराबन्दी। अनुमानित व्यय लगभग रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख मात्र)

(ग) पीसीएफ प्लाजा के सम्मुख, सड़क (सर्वे सं0 83) की घेराबन्दी। अनुमानित

व्यय लगभग रू0 2,90,000/- (रूपया दो लाख नब्बे हजार मात्र)

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

प्रस्ताव सं0 21

(क) विचार किया गया एवं स्वीकृत।
(ख) विचार किया गया एवं स्वीकृत।
(ग) विचार किया गया एवं स्वीकृत।

22. स्पोर्टस मीट– शिखर कानपुर 2017

कानपुर में शिखर 2017 में 83 छात्रों व 11 शिक्षको व कर्मचारियों का दल प्रतिभाग हेतु दिनांक 05.11.2017 को मध्य गमन करेंगा इस संबंध में निम्न आवश्यकताओं में अनुमानित व्यय की मंजूरी हेतु विचार करना।

(i) स्पोर्टस आइटम इत्यादि	–	रू0 1,50,000/–
(ii) ट्रैक सूट जूता इत्यादि	–	रू0 90,000/–
(iii) प्रतिदिन खेलाड़ियों को पौष्टिक आहार की व्यवस्था हेतु	–	रू0 50,000/–
(iv) रेल आरक्षण	–	रू0 27,930/–
(v) छावनी परिषद कानपुर को प्रतिभागियों को ठहरने की व्यवस्था इत्यादि हेतु योगदान	–	रू0 2,00,000/–
कुल अनुमानित व्यय	–	रू0 5,17,930/–

प्रस्ताव सं0 22

विचार किया गया एवं स्वीकृत। आगे बोर्ड ने यह भी स्वीकृत किया कि बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 01 अण्डा, पनीर एवं दूध दिया जाए। विद्यालय के सभी बच्चों को ट्रैक टाप भी दिया जाए।

23. वाराणसी छावनी – जी0 एल0 आर0 सर्वे सं0 181 व 185 पर पक्का नाला निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में।

आयुक्त, वाराणसी मंडल वाराणसी के पत्रांक सं0 4244/21–1(2015–2018) स्था0 नि0 सं0–1 दिनांक 30 जून, 2017 के मद्देनजर जी0 एल0 आर0 सर्वे सं0 181 व 185 (होटल इंडिया से धोबी घाट होते हुए रेल लाइन की पुलिया तक) पर पक्का नाला निर्माण हेतु नगर निगम, वाराणसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना। तत्पश्चात् नगर निगम के प्रबंधन में कर्तित रक्षा भूमि पर इसी कार्य हेतु रक्षा संपदा अधिकारी, इलाहाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्राचार।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

प्रस्ताव सं0 23

विचार किया गया एवं स्वीकृत। रक्षा सम्पदा अधिकारी, इलाहाबाद के प्रबन्धन में आने वाली रक्षा भूमि के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रस्ताव रक्षा सम्पदा अधिकारी, इलाहाबाद को भेजा जाए।

24. फुलवरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं चहारदिवारी का निर्माण

फुलवरिया मार्ग में आने वाली 469 पेड़ों की नीलामी हेतु ई–निविदा आमंत्रित किया गया था, पर निचे दिए गए विवरण के अनुसार विचार एवं स्वीकृत करना –

समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन की तिथि	दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 07.09.2017.
प्राप्त तकनिकी निविदा की संख्या	03
तकनिकी निविदा खुलने की तिथि	19.09.2017
वित्तीय निविदा खुलने की तिथि	22.09.2017
E टेण्डर आई. डी.	2017_DGDE_234001_2
वित्तीय निविदा हेतु पात्र निविदाओं की संख्या	02
टिप्पणी	–

फर्म का नाम	दिया गया दर (बोली)
मे0 निर्भय इण्टरप्राइजेज	रू.6,51,000.00
मे0 एस.आर.एस. कन्सट्रक्सन	रू.10,50,000.00

वन विभाग द्वारा उच्च्तम मूल्याकंन दर रू.8,10,900.00 आंकलन किया गया है।

उपर्युक्तानुसार बोर्ड मामले का निर्णित करे।

तुलनात्मक विवरण के साथ संबंधित प्रपत्र पटल पर रखे गए।

प्रस्ताव सं0 24

विचार किया एवं यह निर्णय लिया गया कि केवल 02 ही निविदा को वित्तीय निविदा चरण हेतु संस्तुती प्राप्त हुई है। पेड़ों की संख्या को देखते हुए बोर्ड ने प्राप्त हुई निविदा की राशि के बढ़ने की सम्भावना जताई।

अतः पुनः निविदा आमंत्रित की जाने हेतु निर्णय लिया गया।

25. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ डाक्टरों के कार्यकाल की बढ़ोतरी/नवीनीकरण

संदर्भ – छावनी परिषद प्रस्ताव संख्या 24(ए) दिनांक 23.08.2016 एवं प्रस्ताव संख्या 5(2)(ए) दिनांक 07.11.2016

आर0एम0ओ0, कैण्ट जनरल अस्पताल का पत्र दिनांक 09.09.2017 एवं 23.09.20017 पर विचार करना –

(अ) डा0 सिद्धार्थ सिंह, होम्योपैथ फिजिशियन का कार्यकाल 12.07.2017 को समाप्त हो गया था, के कार्यकाल का विस्तार 13.07.2017 से 11 माह हेतु बिना किसी मानदेय के ।

(ब) डा0 सिद्धार्थ सिंह, आयुर्वेदाचार्य का कार्यकाल दिनांक 06.10.2017 को समाप्त हो रहा है, के कार्यकाल का विस्तार पूर्व निर्धारित नियम एवं शर्तों के तहत दिनांक 07.10.2017 से 11 माह हेतु।

सम्बन्धित प्रलेख पटल पर रखे गये ।

प्रस्ताव सं0 25

(अ) विचार किया एवं यह निर्णय लिया गया कि डा0 सिद्धार्थ सिंह, होम्योपैथिक फिजीशियन का कार्यकाल दिनांक 11.07.2017 से 11 माह के लिए बिना किसी मानदेय के पूर्व नियम एवं शर्तों के तहत विस्तार किया जाए।

(ब) विचार किया एवं यह निर्णय लिया गया कि डा0 सिद्धार्थ सिंह, आयुर्वेदाचार्य का कार्यकाल दिनांक 07.10.2017 से 11 माह के लिए पूर्व नियम एवं शर्तों के तहत विस्तार किया जाए।

26. स्टेशन रोड पर वाहनों की पार्किंग

संदर्भ – छावनी परिषद प्रस्ताव संख्या–11 दिनांक 25.07.2017

संदर्भित प्रस्ताव द्वारा श्री संजय कुमार सिंह को 03 माह हेतु (दिनांक 01.08.2017 से 31.10.2017) हेतु विषयक पार्किंग का विस्तार किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 31. 10.2017 को समाप्त हो रही है।

बोर्ड पार्किंग की अवधि पुनः 03 माह हेतु बढ़ाने पर विचार एवं स्वीकृति करना।

सम्बन्धित प्रलेख पटल पर रखे गये ।

<u>**प्रस्ताव सं0 26**</u>

विचार किया एवं स्वीकृत । आगे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पार्किंग के लिए प्राप्ति रसीद छावनी परिषद मुद्रित कराकर ठेकेदार को देगा और उसका वास्तविक भुगतान ठेकेदार द्वारा देय होगा।

ह0/अस्पष्ट
(राजीव कुमार)
सदस्य सचिव
छावनी परिषद, वाराणसी।

ह0/अस्पष्ट
(एस ए रहमान) ब्रिगे0
अध्यक्ष, छावनी परिषद, वाराणसी।